राष्ट्र महिला

खंड 1 संख्या 208 नवम्बर 2016 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

एक महत्वपूर्ण निर्णय में, बम्बई उच्च न्यायालय ने मुम्बई के प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह के अंदर के पावन स्थल में महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक को हटा दिया है। महिलाओं के प्रवेश पर रोक वर्ष 2012 में लगाई गई थी और न्यास ने यह कहकर रोक का समर्थन किया था कि पुरुष दरवेश के मकबरे के निकट महिलाओं की उपस्थिति को इस्लाम धर्म में घोर पाप माना जाता है। तथापि, कोर्ट ने यह कहकर इसका विरोध किया कि न्यास यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि इस्लाम धर्म में आराधना स्थल में महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगाई गई है और इस तर्क को भी खारिज किया कि रोक लगाने से महिलाओं को "यौन उत्पीड़न" से सुरक्षा मिलती है।

कोर्ट ने निदेश दिया कि महिलाओं को 15वीं शताब्दी के दरवेश के पवित्र स्थल में जाने दिया जाए जैसाकि उन्हें दरगाह का प्रबंध देखने वाले न्यास द्वारा 5 वर्ष पूर्व रोक लगाने से पहले अनुमति दी जाती थी। एक दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि रोक संविधान के अनुच्छेद 14 (बराबरी का अधिकार), 15 (धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध) और 25 (धर्म का अधिकार) का उल्लंघन करता है।

इसके बाद, न्यास ने उच्चतम न्यायालय में अपील की जिसमें रोक आदेश के लिए बम्बई उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती दी गई। रोक आदेश देते हुए उच्चतम न्यायालय ने आशा व्यक्त की कि न्यास "ऐसा कदम

चर्चा में महिलाओं पर लगी रोकों को हटाना

उठाएगा जो प्रगतिशील होगा।" पीठ ने यह भी टिप्पणी की कि यदि "आप पुरुषों और महिलाओं को एक स्थान से आगे जाने की अनुमति नहीं देते हैं तो कोई समस्या नहीं है। परन्तु यदि आप कुछ को उस स्थान से आगे जाने की अनुमति देते हो जबकि दूसरों को नहीं देते हो तो समस्या खड़ी होती है।"

इसके तुरन्त बाद, एक महत्वपूर्ण निर्णय में हाजी दरगाह प्रबंधकों ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि वे महिलाओं को दरगाह के पवित्र स्थल तक जाने की अनुमति देंगे और आदेश को क्रियान्वित करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा। तथापि न पुरुषों को और न महिलाओं को दरगाह के पवित्र स्थल को छूने की अनुमति नहीं मिलेगी।

अभी हाल में, केरल सरकार ने भी अपनी पिछली सरकारी नीति में परिवर्तन करते हुए उच्चतम न्यायालय से कहा कि सभी महिलाओं को, चाहे वे किसी भी आयु की हों, सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि महिलाओं की बराबरी के लिए संघर्ष किसी राष्ट्र की प्रगति की कुंजी है और कोई भी राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता है यदि महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है और उन्हें धार्मिक स्थानों पर जाने नहीं दिया जाता है। कोर्टों ने प्रतिगामी नीतियों को चुनौती देने के लिए महिलाओं को कानूनी ताकत दी है और यह आश्चर्यजनक सुखद रहेगा जब हम हिंदू और मुस्लिम, पुरुष और महिलाओं को कंधे से कंधा मिलाकर एक अधिक न्यायोचित समाज बनाते हुए देखेंगे।

महत्वपूर्ण निर्णय

- विपत्ति में पड़ी महिलाओं की सहायता करने के लिए जनवरी 2017 से आगे भारत में बिकने वाले प्रत्येक मोबाइल फोन में एक 'पैनिक बटन' लगा होगा जिसका प्रयोग पुलिस को चौकस रहने के लिए किया जा सकेगा। पैनिक बटन को आपात संख्या 100 से जोड़ा जाएगा।
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि किसी विवाहित महिला द्वारा अपने वैवाहिक घर में निजता की मांग करना पति के लिए उसे तलाक देने हेतु उसके प्रति क्रूरता का आधार करार नहीं दिया जा सकता। यह टिप्पणी पीठ ने तब की जब उसने पति द्वारा विवाह का विघटन करने की अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि निजता एक मूलभूत मानव अधिकार है।
- केन्द्र ने सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र और अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क जांच करने के लिए एक स्कीम आरम्भ की है। अर्द्ध-शहरी, निर्धन और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। स्कीम के भाग के रूप में महिलाओं का एनेमिया, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर (गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज) और गर्भावस्था से संबंधित अन्य समस्याओं के लिए परीक्षण किया जाएगा और गर्भ में शिशु के स्वास्थ्य और विकास पर नजर रखने के लिए निःशुल्क अल्ट्रासाउंड किया जाएगा।
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एसिड हमले की एक पीड़िता का जो 2009 में एसिड हमले में जख्मी हुई थी, निःशुल्क डॉक्टरी इलाज करने को कहा है और उसका विशेष इलाज करने को भी कहा है क्योंकि ऐसा इलाज लोक नायक अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। कोर्ट ने पुनर्वास और मुआवजा राशि बढ़ाने के लिए, क्योंकि पीड़िता मुआवजा स्कीम के अंतर्गत 7 लाख रुपए की अधिकतम सीमा मनमानी पूर्ण और अवास्तविक है, क्योंकि वह गंभीर जख्मी हुई है, महिला के अनुरोध पर दिल्ली सरकार और दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकार से जवाब भी मांगा है।

गोल्डन जुबली नेशनल कांफ्रेंस

राजनीति विज्ञान विभाग, इन्द्रप्रस्थ कॉलेज ऑफ वुमैन द्वारा नई दिल्ली में महिलाओं पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। डॉ. बबली मोइत्रा सर्राफ, कॉलेज की प्रिंसीपल ने पैनल का परिचय दिया जिसमें राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ललिता कुमारमंगलम, इंदु अग्निहोत्री, सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज़ में निदेशक और प्रोफेसर सुशील भारद्वाज के नाम थे।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा सम्मेलन में भाषण करती हुई।

उद्घाटन सत्र में सम्मेलन के विषय - महिला, राज्य और सत्ता : लोकतंत्र का प्रतिबिंब पर चर्चा हुई। इस बात पर विचार किया गया कि देश के लोकतंत्र ढ़ांचे में पुरुष प्रधान तंत्र ने कैसे एक बड़ी भूमिका निभाई जिसमें महिलाओं को लोकतंत्र का कोई लाभ नहीं मिला और कैसे भारत में महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं दिया गया।

इस अवसर पर बोलती हुई श्रीमती ललिता कुमारमंगलम ने देश के लोकतांत्रिक प्रणाली में महिलाओं की अल्प भागीदारी पर दुःख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि लगभग 90 प्रतिशत भारतीय महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है और 'वैश्वीकरण' की अवधारणा महिलाओं के लिए एक काल्पनिक व्यवस्था की अवधारणा है जब उनकी अपने मूल अधिकारों तक भी पहुंच नहीं है। उन्होंने आगे टिप्पणी की कि महिलाओं के लिए आरक्षण विधेयक का विरोध 'पारंपरिक' और 'गैर-पारंपरिक' भूमिकाओं से संबंधित है जिसे पुरुष प्रधान समाज ने महिलाओं को सौंपे हैं।

सत्र का समापन करते हुए सुश्री सुशील भारद्वाज ने कहा कि मतदान व्यवस्था में भाग लेकर देश की महिलाएं आजादी प्राप्त कर सकेंगी। अन्य सत्रों में 'संस्कृति और पहचान की राजनीति, 'विकास और पारिस्थितिकी में महिलाओं का दृष्टिकोण' और 'हिंसा की स्थिति और स्वरूप' पर चर्चा हुई।

विधि जागरूकता कार्यक्रम

महिला संबंधित कानूनों के बारे में विधि जागरूकता कार्यक्रम के लिए मानकीकृत मॉड्यूल के अनुसार विधि जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए नाल्सा (एन.ए.एल.एस.ए.)/प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों/विधि विभागों/कॉलेजों/राज्य महिला आयोगों से प्राप्त ऑनलाइन ई-प्रस्तावों को राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान अनुमोदन दिया गया। नवम्बर 2016 के महीने तक राष्ट्रीय महिला आयोग ने समूचे भारत से प्राप्त 82 विधि जागरूकता कार्यक्रमों को मंजूरी दी।

महिलाओं से संबंधित कानूनों के बारे में एक विधि जागरूकता कार्यक्रम 6-7 अक्टूबर, 2016 को वुमैन स्टडीज़ रिसर्च सेंटर, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ जिसे राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली ने प्रायोजित किया था।

विधि जागरूकता कार्यक्रम का संचालन।

साहस की मिसाल

● दिल्ली के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में एक ट्रक मैकेनिक शान्ति देवी ने यह साबित कर दिया है कि ऐसा कोई काम नहीं है जिसे महिलाएं न कर सकती हों। शान्ति देवी में इतनी ताकत है कि वह 60 से 80 किलोभार के टायरों की मरम्मत कर सकती है और एक दिन में कम से कम 15 ट्रकों में पंक्चर लगा सकती है। आरम्भ में लोगों ने उसे यह काम छोड़ देने को कहा था क्योंकि वे समझते थे कि यह पुरुष का काम है, परन्तु शान्ति देवी मजबूत बनी रही। यद्यपि लोग उसे टायरों की मरम्मत करते हुए ताकतें हैं परन्तु वह उनकी परवाह नहीं करती है। अपने पति की मदद से उसने ट्रक के हर पुर्जे के बारे में जाना और उसकी मरम्मत की तकनीकी के बारे में सीखा।

● भारत की पहली महिला मर्चेंट नेवी कैप्टन राधिका मेनन इंटरनेशनल मेरीटाइम आर्गेनाइजेशन (आई.एम.ओ.) से पुरस्कार पाने वाली पहली महिला बन गई है। यह पुरस्कार उन्हें बंगाल की तूफानी खाड़ी में एक डूबती नाव से सात मछुआरों को बचाने में असाधारण बहादुरी दिखाने में मिला है। राधिका ने आई.एम.ओ. मुख्यालय में हाल में हुए एक समारोह में अपना मेडल और प्रशस्ति पत्र प्राप्त किया।

जन सुनवाई

● राष्ट्रीय महिला आयोग ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार और पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय से सदस्य आलोक रावत की अध्यक्षता में श्री वरुण छाबड़ा, परामर्शदाता और सुश्री रंजनी, जे.टी.ई. (एन.आर.आई.) के साथ दिल्ली में ट्रेनिंग हॉल, पुलिस स्टेशन चित्तरंजन पार्क में 21 अक्टूबर, 2016 को महिला जन सुनवाई आयोजित की। जन सुनवाई में 50 मामले लिए गए; इसमें से 34 मामलों का निपटान कर दिया गया था।

सदस्य आलोक रावत जन सुनवाई का संचालन करते हुए। सुश्री कंचन खट्टर उनके दाहिनी ओर हैं।

● राष्ट्रीय महिला आयोग ने 24-25 नवम्बर, 2016 को देहरादून, उत्तराखंड में 'महिला जन सुनवाई' का आयोजन किया। सदस्य आलोक रावत राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम के साथ राज्य पुलिस और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के साथ सहयोग से संचालित सुनवाई में उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान 140 मामले लिए गए।

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा हस्तक्षेप

● सदस्या रेखा शर्मा की अध्यक्षता में एक जांच समिति यौन उत्पीड़न की दो शिकायतों की जांच करने के लिए नोएडा गई। इनमें से एक शिकायत एक शैक्षिक संस्थान और दूसरी पुलिस विभाग के अंदर की थी। वह संबंधित प्राधिकारियों और पुलिस अधिकारियों से मिली।

● सदस्या सुषमा साहू की अध्यक्षता में एक जांच समिति महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की चार शिकायतों, जिनमें पुलिस ने उदासीनता दिखाई थी, की जांच करने के लिए पटना गई और संबंधित प्राधिकारियों और शिकायतकर्ता से मिली। इसके बाद महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की बढ़ती घटनाओं पर राज्य में पुलिस के साथ सहयोग से राज्यपाल, बिहार के साथ चर्चा करने के लिए एक बैठक भी आयोजित की।

● एक घरेलू कामगार को उसके मालिक द्वारा गलत ढ़ंग से बंद रखे जाने के बारे में एक टेलीफोन से एक शिकायत मिली। आयोग ने तुरन्त संबंधित पुलिस को मामले की जांच करने को कहा। आयोग और पुलिस की तुरन्त कार्रवाई से पीड़िता को बचा लिया गया।

दुल्हन की वेषभूषा में सजी एक लड़की की दहेज की मांग के विरुद्ध शिकायत

दुल्हन की वेशभूषा पहनी एक लड़की बादल गांव में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से मिली और आरोप लगाया कि गुरू हरशाही से दूल्हे के परिवार ने यह कहते हुए दहेज के रूप में 5 लाख रुपए और एक कार की मांग की है कि उनके लड़के को अब ई.टी.टी. की नौकरी मिल गई है और विवाह समारोह से पूर्व कुछ ही समय बाद उससे विवाह करने से मना कर दिया। मुख्यमंत्री ने लोकल एस.पी. और एस.एस.ओ. से मामले में तुरंत कार्रवाई करने को कहा

एन.आर.आई. प्रकोष्ठ

आयोग ने तेलंगाना राज्य महिला आयोग के साथ सहयोग से एक एन.आर.आई. विवादों से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए 5 नवम्बर, 2016 को हैदराबाद में एक राष्ट्रीय सेमिनार सफलतापूर्वक आयोजित किया।

नवम्बर, 2016 में राष्ट्रीय महिला आयोग को प्राप्त शिकायतें

माह	प्राप्त शिकायतें	प्राप्त की गई कार्यवाही रिपोर्ट	बंद शिकायतें
नवम्बर, 2016	1290	673	916

राष्ट्रीय महिला आयोग ने नवम्बर, 2016 में 16 मामलों को स्वतः संज्ञान में लिया।

सदस्या सुषमा साहू कानपुर में जन सुनवाई को संबोधित करती हुई।
सदस्या बिहार के राज्यपाल के साथ।

❖ सदस्या सुषमा साहू परामर्शदात्री प्रवीन और स्मिता झा के साथ 25 और 26 अक्टूबर, 2016 को कानपुर में एक जन सुनवाई में शामिल हुई। जन सुनवाई में 40 मामले लिए गए; इनमें से 31 मामले बंद कर दिए गए और 9 मामलों में पुलिस प्राधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने को कहा गया। वहीं पर दो मामले और लिए गए और अग्रेतर कार्यवाही के लिए पुलिस प्राधिकारियों को भेजे गए। ● आयोग ने एक मीडिया रिपोर्ट को स्वतः संज्ञान में लिया जो 'मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाओं ने शेल्टर होम स्टॉफ द्वारा बलात्कार करने का आरोप लगाया' शीर्षक से 'हिंदुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित हुआ था। इसमें यह कहा गया कि एक 32 वर्षीया मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला ने ओल्ड एज शेल्टर होम के तीन कर्मचारियों द्वारा बलात्कार करने का आरोप लगाया। सदस्या साहू गीता राठी, जूनियर टेक्नीकल एक्सपर्ट (विधि) के साथ पीड़िता को मिलने और उसकी मानसिक एवं शारीरिक स्थिति जानने के लिए मानव व्यवहार एवं सम्बद्ध विज्ञान संस्थान (इहबास) गई। सदस्या उस शेल्टर होम भी गई जहां पीड़िता के साथ कथित बलात्कार किया गया था। संबंधित पुलिस प्राधिकारियों ने सदस्या को मामले में तुरंत की गई कार्रवाई से अब तक की स्थिति से अवगत कराया और इस मामले में तुरंत और निष्पक्ष जांच करने का आश्वासन दिया। ● सदस्या, अध्यक्षा के निजी सचिव श्री रमन के साथ आयोग द्वारा प्राप्त एक शिकायत की जांच करने के लिए 10-11 नवम्बर को कोच्चि गई। ● आयोग ने श्रीमती सुषमा साहू और एडवोकेट मनीष की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की। जांच समिति छः शिकायतों की जांच करने के लिए पटना गई। समिति शिकायतकर्ताओं से मिली और संबंधित पुलिस प्राधिकारियों को निदेश दिए। छः शिकायतों में से तीन दहेज मौतों के थे, एक पुलिस अधिकारी द्वारा बलात्कार का था, एक अपहरण का था और एक दहेज प्रताड़ना का था। बाद में सुषमा साहू राष्ट्रीय महिला आयोग को प्राप्त शिकायतों पर चर्चा करने के लिए बिहार के राज्यपाल से मिली।

❖ आयोग ने एक रिपोर्ट को संज्ञान में लिया जो 'नई दिल्ली में एक 20 वर्षीया महिला पर उसके पति द्वारा एसिड से तब हमला किया गया जब उसने अपनी ससुराल जाने से इंकार कर दिया था' शीर्षक से इलेक्ट्रानिक मीडिया में आई थी। सदस्या रोहिणी में पीड़िता और उसके परिवार से उसके निवास स्थान पर मिली। पीड़िता 40 प्रतिशत तक जली है। पीड़िता का वक्तव्य रिकार्ड कर लिया गया है और उसे एसिड पीड़ित मुआवजा स्कीम के अंतर्गत मुआवजा दिया जाएगा। सदस्या रेखा शर्मा ने एस.एच.ओ. उधम सिंह के साथ भी बात की जिसने उन्हें इस लोमहर्षक घटना के बारे में बताया। पीड़िता को आगे इलाज के लिए सफदरजंग अस्पताल भेजा गया परन्तु उसे वहां दाखिला नहीं मिला और फिर उसे ओ.पी.डी. भेजा गया। उसे कैजुअल्टी वार्ड में उचित देखभाल नहीं मिली और उन्हें मिलने वाली निःशुल्क औषधि लाने के बारे में नहीं बताया गया। ● सदस्या ने सफदरजंग अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेन्ट से समिति के समक्ष 26.10.2016 को उपस्थित होने का अनुरोध किया। ● सदस्या रेखा शर्मा सुश्री गीता राठी सिंह, जे.टी.ई. (विधि) के साथ मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाओं की स्थिति देखने और उनका पुनर्वास करने में उनकी सहायता करने के लिए भी विश्व निर्मला प्रेम आश्रम, नोएडा गई। ● सदस्या रेखा शर्मा अवनि बाहरी जे.टी.ई. (विधि) के साथ 'कटवारिया सराय के एक घर में एक महिला मृत पाई गई' के एक मामले की जांच करने के लिए कटवारिया सराय, वसंत विहार गई। ● सदस्या कांस्टेबल प्रवेश के साथ पीड़िता के परिवार से महरौली, नई दिल्ली में उनके निवास स्थान पर मिली। परिवार ने आरोप लगाया कि मृतक महिला को, जब से उसका विवाह जून, 2010 को हुआ था, दहेज के लिए उसके ससुराल वालों और पति ने शारीरिक और मानसिक रूप से यातनाएं दी। यद्यपि पीड़िता के परिवार ने उनकी सभी मांगें पूरी कर दी थी, पति और ससुराल वालों ने यह पता चलने पर, कि वह कन्या शिशु को जन्म देगी, उस पर प्रसव के लिए उसकी माँ के घर जाने के लिए दबाव डाला।

अग्रेतर सूचना के लिए देखिए हमारा वेबसाइट : www.ncw.nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग, प्लॉट नं. 21, जसोला इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110025 द्वारा प्रकाशित। सम्पादक : गौरी सेन। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-5 द्वारा मुद्रित।